Govt. of Jharkhand

Drinking Water & Sanitation Department

GUIDELINES

FOR

MEASURES FOR PREVENTION OF FATAL ACCIDENTS OF SMALL CHILDREN DUE TO THEIR FALLING INTO ABANDONED BORE WELLS AND TUBE WELLS

PROGRAMME MANAGEMENT UNIT

STATE WATER AND SANITATION MISSION

GOVERNMENT OF JHARKHAND
DRINKING WATER AND SANITATION DEPARTMENT

INTRODUCTION

The National Commission for Protection of Chile Rights (NCPCR) has been constituted as a Statutory Body of Government of India under Section-3 of the Commission for Protection of Child Rights (CPCR) Act, 2005 to exercise the powers conferred on it and to perform the functions assigned to it under this Act.

The Hon'ble Supreme Court of India issued vide order dated 11th February, 2010 in the matter of "Measures of Prevention of Fatal Accidents of Small Children Due to Their Falling into Abandoned Bore Wells and Tube Wells V/s. Union of India Ors." (Civil Writ Petition No. 36 of 2009) with direction to frame the guidelines in this regard. These provisions shall be enforced for bore wells of 150 mm diameter or more than 150 mm diameter in the State of Jharkhand.

DETAILS OF GUIDELINES

(A) General Guidelines :

The following safety measures/guidelines are to be observed by the concerned Agency/Department :

(1) "The owner of the land/premises, agency/department before taking any steps for construction bore well/tube well must inform in writing at least 15 days in advance to the concerned authorities in the area, i.e. Mukhia of the Gram Panchayat / Concerned Officers of Drinking Water & Sanitation Department in case of rural areas and in urban areas to Ward Commissioner / Concerned Officers of Drinking Water & Sanitation Department as the case may be, about the construction of bore well / Tube well.

(2) Registration of all the drilling agencies, viz., Govt,./Semi-Govt./Private etc. will be mandatory with the Drinking Water & Sanitation Department. Agency already registered do not required for re-registration.

(3) Erection of signboard at the time of construction near the well with the following details shall be made :

- (a) Complete address of the drilling agency at the time of construction / rehabilitation of well;
- (b) Complete address of the user agency / owner of the well.

(4) Erection of barbed wire fencing or any other suitable barrier around the well during construction and a guard around the clock must be kept by the User/Owner of the land / premises, Agency / Department.

(5) After completion of drilling, Bore Well / Tube well must be plugged and covered with P.C.C. up to 0.30 Mtr. above ground level and 0.30 meter below ground level around the well in case of PVC casing until the installation of Hand pump.

(6) Capping of well assembly by welding steel plate or by providing a strong cap to be fixed to the casing pipe with bolts & nuts in case of M.S. Casing Pipe.

(7) During the period of pump repair, the tube well should not be left uncovered. It shall must be plugged during the repairing period.

(8) Abandoned Bore Wells & Tube Wells may be used as Water Recharge Pit but it must be covered during their usage as Water Recharge Pit.

(9) Where it is not possible, the abandoned bore wells must be filled up by Clay/ Sand/ Boulders/ Pebbles/ Drill cuttings etc. from bottom to ground level.

(10) On completion of the drilling operations at a particulars location, the ground conditions are to be restored as before the start of drilling.

(11) District / Block / Village wise status of bore wells / tube wells drilled viz. No. of wells in use, No. of Abandoned bore wells / tube wells found open, no. of abandoned bore wells / tube wells properly filled up to ground level and balance no. of abandoned bore wells, tube well to be filled up to ground level is to be maintained at District Level in case or urban areas. In rural areas, the monitoring of the above is to be done through Village Water & Sanitation Committed and the Junior Engineer from the Drinking Water & Sanitation Department.

(12) Certificate from Drinking Water & Sanitation Department / Municipal Corporation / Village Water & Sanitation Committee must be obtained by the owner of the land / premises / agency that the "Abandoned" bore well / tube well has been properly filled up to the ground level. Random Inspection of the abandoned wells is also to be done by the Junior Engineer of Drinking Water & Sanitation Department / Local bodies. Information on all such data on the above are the be maintained in the Deputy Commissioner / Block Development Officer of the State.

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

शिशु का परित्यक्त बोरवेल और नलकूपों में गिरने के कारण घातक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उपाय करने हेतु दिशा–निर्देश

पृष्ठभूमि :

शिुश अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 (सी.पी.सी.आर.) के आयोग की धारा–3 के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिशु अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, अधिनियम में उनको प्रदत्त अधिकारी को उपयोग करने एवं उनके कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोरवेल एवं नलकूप में उनके गिरने से घातक दुर्घटना की रोकथाम के उपाय बनाम भारत सरकार एवं अन्य (सिविल रिट याचिका सं.–36 सन् 2009) के मामले में दिनांक 11 फरवरी 2010 को इस विषय में दिशा–निर्देश दिया गया।

यह प्रावधान झारखण्ड राज्य में 150 मी.मी. व्यास या उससे अधिक के नलकूपों के निर्माण के लिए प्रभावी होंगे।

सामान्य दिशा–निर्देश :

निम्नलिखित सुरक्षा उपाय/दिशा–निर्देश संबंधित एजेन्सियों/विभागों द्वारा अपनाया जाना है :

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि/परिसर/एजेन्सी/विभाग जहाँ बोरवेल/नलकूप का निर्माण कराना है के मालिक कम–से–कम 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों यथा–ग्राम पंचायत के मुखिया/पेयजल एवं स्वच्छता/अन्य संबंधित प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी को सूचित करेंगे। शहरी क्षेत्रों के लिए मुहल्ला के वार्ड पार्षद/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संबंधित पदाधिकारी को सूचित करेंगे।

(2) सभी ड्रीलिंग एजेन्सियों यथा–सरकार/अर्द्ध सरकारी/निजी आदि को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। पूर्व से निबंधित एजेन्सी को पुनः निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) बोरवेल/नलकूपों के निर्माण के दौरान निम्नलिखित विवरणी के साथ निर्माण स्थल पर सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा :

(क) निर्माण/पुनर्स्थापन के ड्रीलिंग एजेन्सी का नाम एवं पूरा पता।

(ख) बोरवेल/नलकूप के उपयोगकर्त्ता/मालिक का नाम एवं पूरा पता।

(4) परिसर/भूमि के मालिक/एजेन्सी/उपयोगकर्त्ता के द्वारा बोरवेल/नलकूप निर्माण के दौरान निर्माण स्थल के चारों तरफ कंटीलेदार तार से या अन्य सुरक्षित तरीकों से घेरना एवं निर्माण के दौरान एक चौकीदार रखना भी अनिवार्य होगा।

(5) बोरवेल/नलकूप के निर्माण कार्य के पूरा होने पर बोरवेल/नलकूप के चारों ओर पी.सी.सी. चबूतरा 0.5x0.5x0.60 मीटर आकार का जो भूतल से 0.30 मीटर नीचे एवं 0.30 मीटर ऊपर तक होगा के माध्यम से केसिंग पाईप को ढ़कना होगा।

(6) जब तक मोटर पम्प का अधिष्ठापन नहीं हो जाता है, केसिंग पाइप के मुँह को निश्चित रूप से मजबूत कैप से बंद किया जायेगा। एम.एस. केसिंग पाइप वाले नलकूप के ऊपरी मुँह पर मजबूत कैप को वेल्डिंग/नट बोल्ट द्वारा मजबूती से बन्द कर दिया जाएगा।

(7) बोरवेल/नलकूप की मरम्मति के दौरान इसे खुला नहीं छोड़ा जाएगा। मरम्मति के दौरान भी इसे बंद कर रखना होगा।

(8) नलकूप निर्माण के समय खोदे गये गड्ढे, नाले को कार्य पूरा होते ही भर कर समतल करना आवश्यक होगा।

(9) परित्यक्त बोरवेल/नलकूपों को जल पुनर्भरण पिट (Water Recharge pit) के लिए उपयोग किया जा सकता है। जल पुनर्भरण (Water Recharge pit) के लिए उपयोग करने के दौरान भी बोरवेल नलकूप को बंद कर रखना होगा।

(10) जहाँ परित्यक्त बोरवेल/नलकूप का उपयोग जल पुनर्भरण पिट (Water Recharge pit) के लिए उपयोग करना सम्भव न हो वैसे परित्यक्त बोरवेल/नलकूपों को बालू, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ आदि से पूरी तरह भर कर समतल कर देना होगा। किसी भी स्थान पर नलकूप छिद्रण पूर्ण होने पर निर्माण स्थल को निर्माण के पूर्व की स्थिति में लाना अनिवार्य होगा।

(11) जिला/प्रखण्ड/गाँव/नलकूपों की उपयोग में, परित्यक्त एवं खुले में पाये गये बोरवेल/नलकूप की संख्या, अच्छी तरह से भरे हुए परित्यक्त बोरवेल/नलकूप की संख्या तथा अच्छी तरह से ढकने के लिए शेष बचे परित्यक्त बोरवेल/नलकूपों की संख्या का विवरण जिला स्तर पर संधारण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कनीय अभियंता द्वारा परित्यक्त बोरवेल/नलकूपों का ब्योरा संधारित किया जायेगा जबकि शहरी क्षेत्रों का विवरण स्थानीय निकाय/नगर निगम/नगरपालिका द्वारा अपने कनीय अभियंता या अन्य संबंधित विभाग के माध्यम से संधारित किया जाएगा।

(12) परित्यक्त बोरवेल/नलकूपों के भू–स्वामी/परिसर के स्वामी/एजेन्सी को परित्यक्त बोरवेल/नलकूपों को अच्छी तरह से ढ़क एवं भर दिए जाने के आशय का प्रमाण–पत्र पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/नगर निगम/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से लेना अनिवार्य होगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कनीय अभियंता/स्थानीय निकायों द्वारा परित्यक्त बोरवेल/नलकूपों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा। उक्त सभी आंकड़ा राज्य के उपायुक्त/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय स्तर पर संधारित किए जायेंगे।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्रांक : बोरवेल में शिशु गिरने से संबंधित – 420/2012–/83/SWSM दिनांक : 5.2.14

प्रेषक : सुधीर प्रसाद

अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

Email/
Speed post

सभी उपायुक्त

झारखण्ड।

विषय : शिशु का परित्यक्त बोरवेल एवं नलकूपों में गिरने के कारण घातक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उपाय करने के दिशा–निर्देश।

ज्ञाप,

भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या W-11042/20/2012-water-2 दिनांक 24.07.2012 एवं दिनांक 20.09.2013 द्वारा सूचित किया गया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल WP(C) No. 36 सन् 2009 के मामले में शिशु का परित्यक्त बोरवेल और नलकूपों में गिरने के कारण घातक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उपाय करने के दिशा–निर्देश तैयार किया जाएँ। इसके आलोक में झारखण्ड राज्य के लिए एक दिशा–निर्देश विकसित किया गया है। इस दिशा–निर्देश की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

निदेश है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनु : दिशा–निर्देश

(सुधीर प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : बोर वेल में शिशु गिरने से संबंधित–420/2012–/83/SWSM दिनांक : 5.2.14

Email/
Speed post

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय मुख्य अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राँची क्षेत्र राँची/दुमका क्षेत्र, दुमका/अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(समीर कुमार दाँ)
मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक